न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (न्याय), जयपुर

फर्द अहकाम

प्रकरण संख्या : 20 अपील 52-2 बनाम शंकरलाल व अन्य
नं. 52/2016

कार्यवाही /आज्ञा की दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
12.4.21	पत्रावली पेश हुई। आवाजें दिलाई गई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। पैरोकार सरकार उप०। रेस्पोंडेंट ए०। असालतन/पकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वकील अपीलान्ट व पैरोकार सरकार को सुना गया। बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट द्वारा दायर की गई एस०बी० सिविल रिट निर्णयन नम्बर 5232/2017 उपचारी सुरेन्द्रकुमार बनाम राजस्थान राज्य वगैरह में दिए गए निर्णय दिनांक 24.7.2020 पश्चात संशोधित निर्णय दिनांक 9-11-2020 के अवलोकन से जाहिर होता है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका को स्वीकार किया गया है और रेस्पोंडेंट्स को याचिकाकर्ता द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकल्प पत्र दिनांक 25.07.2016 एवं 23-08-2016 द्वारा दिए गए आवंटी का नामान्तकरण किये जाने की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के चार सप्ताह में खोलने के निर्देश दिए गए हैं। अतः माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा नामान्तकरण, खोलने के निर्देश दिए जाने के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट अप्रभावी (Infructuous) हो जाने के फलस्वरूप माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 24.7.2020 पश्चात संशोधित दिनांक 9-11-2020 अनुसार अपील का निस्तारण किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर	

लगातार.....